



दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: Plex/Cir/387

तारीख: 12 अगस्त 2026

Plexconcil के सभी सदस्यों / COA सदस्यों

को

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: निर्यात प्रोत्साहन मिशन (ईपीएम) - निर्यात प्रोत्साहन के अंतर्गत शिपमेंट से पहले और शिपमेंट के बाद के निर्यात ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी सहायता हेतु कार्यान्वयन एजेंसी का भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) में संस्थागत परिवर्तन।

संदर्भ: ट्रेड नोटिस संख्या 17/2026-27 दिनांक 7 अगस्त 2026

हम सदस्यों को उपरोक्त व्यापार नोटिस के बारे में सूचित करना चाहते हैं, जो निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) के अंतर्गत शिपमेंट से पहले और बाद के निर्यात ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी सहायता के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) को कार्यान्वयन एजेंसी के संस्थागत परिवर्तन के संबंध में है।

सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित परिचालन तौर-तरीकों पर ध्यान दिया जा सकता है:

- i. **फ्रेमवर्क परिवर्तन की प्रभावी तिथि :** एक्जिम बैंक 1 अप्रैल 2026 से सभी परिचालन, पोर्टल प्रबंधन, सत्यापन और दावा निपटान वर्कफ़्लो के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में काम करेगा।
- ii. **विरासत दावों का निपटान (जनवरी-मार्च 2026 तिमाही) :** जनवरी से मार्च 2026 को समाप्त तिमाही के लिए भाग लेने वाले ऋण देने वाले बैंकों के किसी भी पूरक/अतिरिक्त दावों को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा

संसाधित किया जाना जारी रहेगा।

परिणामस्वरूप, कार्यान्वयन ढांचा और दिशानिर्देश मूल रूप से अनुलग्नक- I (प्रक्रिया पुस्तिका के लिए प्रावधान) और ट्रेड नोटिस संख्या 20/2025-26

(https://membership.plasticsep c.org/mails_images/20260105115_534.pdf) के परिशिष्ट-A में विस्तृत हैं, नीचे दिए गए संशोधन निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) - निर्यात प्रोत्साहन के तहत शिपमेंट से पहले और बाद के निर्यात क्रेडिट के लिए ब्याज सब्सिडी सहायता का हिस्सा होंगे, जैसा कि बाद के ट्रेड नोटिस के माध्यम से पहले जारी या संशोधित किया गया था।

ट्रेड नोटिस संख्या 20/2025-26 और बाद के ट्रेड नोटिस के तहत निर्धारित सभी अन्य परिचालन प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संशोधित प्रावधान (EXIM बैंक फ्रेमवर्क प्रभावी 01.04.2026)

यहां से डाउनलोड करें: https://membership.plasticsepc.org/mails_images/202608121128_50.pdf

यह आपकी जानकारी के लिए है।

साभार

भारती परावे

उप निदेशक – व्यापार और नीति

प्लेक्सकॉन्सिल